बिहार सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या–एम०–04–03/2022 13183/वि० **पटना, दिनांकः–** 09-12-2024

भारत के संविधान के अनुच्छेद–282(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय–समय पर संशोधित) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैः–

बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभः
   i. यह नियमावली "बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024" कही जा सकेगी।
   ii. इसका विस्तार संम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
   iii. यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त मानी जायेगी ।
2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय–समय पर संशोधित) के संविदा के सामान्य सिद्धांत– नियम–30 के उप नियम (XIX), (XX), (XXII) का विलोपन एवं सामग्री एवं सेवाओं के अधिप्राप्ति से संबंधित नियम–124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 एवं 131क से 131ज्ञ(च) के क्रम संख्या एवं प्रावधानों को निम्नांकित नियमों 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 एवं 131क से 131ज्ञ(द) से निम्नवत् प्रतिस्थापन किया जायेगा :–

नियम संख्या	बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024
124	**उपयोजन**
	(1) इस अध्याय में लोक सेवा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के संबंध में नीचे उप–नियम (2) में निर्दिष्ट सभी खरीद संस्थाओं पर लागू होने वाले सामान्य नियम शामिल हैं।
	(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए "खरीद इकाई" से अभिप्रेत है; क. राज्य सरकार का कोई विभाग या इसका संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय; ख. भारत के संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय जिसका व्यय राज्य की संचित निधि से पूरा होता है; और ग. राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम या प्राधिकरण या

	सोसाइटी या ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो), या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या वित्त पोषण वाला कोई निकाय।
	(3) उपर्युक्त उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के प्रावधान किसी समझौते के तहत या उससे उत्पन्न राज्य सरकार के किसी भी दायित्व के मामले में खरीद इकाई पर लागू नहीं होंगे, क. वस्तु और सेवाओं (ऋण या अनुदान द्वारा वित्त पोषित) की खरीद के लिए जहाँ ऐसी एजेंसी के खरीद दिशा–निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है; एक अंतर सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, वित्त पोषण संस्थान या बहुपक्षीय विकास एजेंसियों या द्विपक्षीय विकास एजेंसियों अर्थात विश्व बैंक, ए०डी०बी०, विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय आदि के साथ समझौता, या ख. जिसमें यह एक या एक से अधिक अन्य राज्य सरकारें या भारत सरकार के साथ पक्षकार है, और ऐसे समझौते की आवश्यकताएँ इस नियम के प्रावधानों पर अभिभावी होगा। परन्तु राज्य सरकार खुद को संतुष्ट करेगी कि इस तरह के समझौते के संदर्भ में निर्धारित खरीद प्रक्रिया, सार्वजनिक खरीद के बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप है।
	(4) प्रशासी विभागों / खरीद इकाईयों द्वारा मोटे तौर पर इस अध्याय में निहित सामान्य नियमों के अनुरूप सामग्री की खरीद से संबंधित विस्तृत अनुदेश जारी किए जा सकते हैं।
125	सामग्रियों की परिभाषा– इस अध्याय में प्रयुक्त 'सामग्री' शब्द में सरकारी प्रयोग के लिए खरीदा गया या अन्यथा अधिगृहीत सभी सामान, सामग्री, वस्तु, पशुधन, फर्नीचर, उपस्कर, कच्चा माल, अतिरिक्त पुर्जे, यंत्र, मशीनरी, उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, वाहन, वायुयान, जलयान, दवाइयाँ, संयोजन, उप–संयोजन, सहायक उपकरण, किसी अभिभाज्य उत्पादन प्रक्रिया में शामिल यंत्रों का समूह या माल की कोई ऐसी अन्य श्रेणी या सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लाइसेंस पेटेंट जैसे अमूर्त उत्पाद या अन्य बौद्धिक संपत्तियां शामिल है, लेकिन इसमें पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, प्रकाशन, पत्रिकाएँ आदि शामिल नहीं हैं। 'वस्तु' शब्द में ऐसे कार्य और सेवाएं भी शामिल हैं जो ऐसे माल की आपूर्ति के

	लिए आनुषंगिक या परिणामिक हैं, जैसे माल परिवहन, बीमा, संस्थापन, आरंभन, प्रशिक्षण और रखरखाव।
126	**सार्वजनिक खरीद के मौलिक सिद्धांत (कार्यों की खरीद सहित सभी खरीद के लिए)**
	(1) लोक हित में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए जिस खरीद इकाई को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, उस प्रत्येक प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी कि वह सरकारी खरीद से संबंधित मामलों में कार्यकुशलता, मितव्ययिता और पारदर्शिता लाए और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्ष और समानता का व्यवहार करे और सार्वजनिक खरीद में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे। सार्वजनिक खरीद करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित मापदंडों के अनुरूप होनी चाहिए:–
	(i) जहाँ तक व्यावहारिक हो, खरीद की विषय वस्तु का विवरण क. वस्तुनिष्ठ, कार्यात्मक, व्यापक और मापने योग्य होना चाहिए और उसमें तकनीकी, गुणात्मक और कार्य निष्पादन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट की गई हो। ख. किसी विशेष व्यापारिक पहचान (ट्रेडमार्क), व्यापारिक नाम या ब्रांड की ओर इंगित नहीं करता हो।
	(ii) खरीद किये जाने वाले माल की गुणवत्ता, प्रकार आदि के साथ–साथ वस्तु की मात्रा के संदर्भ में भी विनिर्देश, खरीद करने वाले संगठनों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से वर्णित की जानी चाहिए। इस प्रकार तैयार किए गए विनिर्देशों को संगठन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए और इनमें ऐसी निरर्थक एवं अनावश्यक विशिष्टयाँ शामिल नहीं की जाय, जिसके परिणाम स्वरूप अवांछित व्यय की स्थिति उत्पन्न हो। (iii) भंडारण लागत से बचने के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में खरीद नहीं करने की भी सावधानी बरती जानी चाहिए।
	(iv) निष्पक्ष, पारदर्शी और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाना चाहिए।
	(v) खरीद करने वाली इकाई को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि चयनित प्रस्ताव सभी प्रकार से आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा करता है।

	(vi) खरीद इकाई को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि चयनित प्रस्ताव की कीमत उचित है और आवश्यक गुणवत्ता के अनुरूप है।
	(vii) खरीद के प्रत्येक स्तर पर संबंधित खरीद इकाई संक्षिप्त एवं स्पष्ट शब्दों में अभिलेख में यह दर्ज करें कि खरीद के पक्ष में निर्णय लेते समय किन–किन बातों को ध्यान में रखा गया है ।
	(2) कुछ देशों से खरीद पर प्रतिबंध–इन नियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा भारत की सुरक्षा के आधार पर, या राष्ट्रीय सुरक्षा सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित मामलों के आधार पर किसी देश या देशों के किसी ईकाई से अथवा देशों के किसी वर्ग के बोलीदाताओं या किसी इकाई के साथ वाणिज्यिक व्यवस्था रखने वाले बोलीदाताओं से खरीद करने पर पूर्व पंजीकरण और/या जाँच सहित प्रतिबंध अधिरोपित कर सकता है। ऐसे प्रतिबंधों का उल्लंघन करके कोई खरीद नहीं की जायेगी।
127	**वस्तु खरीदने के लिए सक्षम प्राधिकारी**
	कोई प्राधिकारी जो आकस्मिक व्यय करने के लिए सक्षम है, निम्नलिखित नियमों में निहित सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए, "वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन" में प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक सेवा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद की मंजूरी दे सकता है।
128	**वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिए शक्तियाँ**
	(1) प्रशासी विभागों को सामग्री और सेवाओं की खरीद के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करने और अपने अधीनस्थ या संबद्ध कार्यालयों को आवश्यक निर्देश, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय,जारी करने के लिए पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। हालांकि, यदि किसी प्रशासी विभाग/खरीद ईकाई के पास आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है, तो वह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से राज्य क्रय संगठन के माध्यम से खरीद कर सकता है।
129	**राज्य क्रय संगठन का मनोनयन**
	राज्य सरकार विकसित की गई या विकसित की जाने वाली विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष श्रेणी की वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए एक या एक से अधिक संगठनों को राज्य क्रय संगठन के रूप में नामित कर सकती है।

	विभाग/खरीद इकाई राज्य क्रय संगठन से आवश्यकता के अनुसार ऐसे वस्तु और सेवाओं की खरीद के लिए निर्णय ले सकते हैं।
130	**सरकारी ई–बाजार (जेम)**
	भारत सरकार ने सामान्य उपयोग की वस्तुओं के लिए सरकारी ई–बाजार (जेम) की स्थापना की है। जेम विशेष प्रयोजन वाहन (एस०पी०वी०) संभावित आपूर्तिकर्ताओं से जेम के माध्यम से खरीदी जाने वाली वस्तुओं के आवधिक विज्ञापन सहित पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकार के सभी विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार जेम पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं/सेवाओं की खरीद कर सकेंगे। जेम पर आपूर्तिकर्ताओं की साख जेम विशेष प्रयोजन वाहन (एस०पी०वी०) द्वारा प्रमाणित की जाएगी। खरीद करने वाली इकाईयाँ दरों के औचित्य को प्रमाणित करेंगी। जेम पोर्टल का उपयोग खरीद इकाईयों द्वारा सीधी ऑन–लाइन खरीद के लिए निम्नानुसार किया जाएगा :–
	(i) प्रत्यक्ष खरीद मोड – अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश और सुपुर्दगी अवधि को पूरा करने वाले जेम पर उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं में से किसी के माध्यम से ₹50,000/– (पचास हजार रुपये मात्र) तक ।
	(ii) एल1 मोड– अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश और सुपुर्दगी अवधि को ध्यान में रखते हुए ₹50,000/– (पचास हजार रुपये मात्र) से अधिक और ₹10,00,000/–(दस लाख रुपये मात्र) तक {ऑटोमोबाइल को छोड़कर, जहां ₹30,00,000/– (तीस लाख रुपये मात्र) की वर्तमान सीमा या ऐसी राशि जैसा कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है}, कम–से–कम तीन विभिन्न निर्माताओं के उपलब्ध आपूर्तिकर्त्ताओं में से न्यूनतम कीमत रखने वाले आपूर्तिकर्त्ता के माध्यम से । जेम पर उपलब्ध ऑनलाइन बोली और ऑनलाइन उत्क्रम नीलामी के उपकरणों (टूल्स) का उपयोग खरीदारों द्वारा ₹10,00,000/–(दस लाख रुपये मात्र) से कम की खरीद के लिए भी किया जा सकता है।
	(iii) बोली/उत्क्रम नीलामी–अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश और सुपुर्दगी अवधि को ध्यान में रखते हुए ₹10,00,000/–(दस लाख रुपये मात्र) से अधिक की बोली के लिए अनिवार्य रूप से बोलियां प्राप्त करने के बाद जेम पर प्रदान की गई ऑनलाइन बोली का उपयोग करते हुए सबसे कम मूल्य देने वाले आपूर्तिकर्ता के

	माध्यम से। खरीद इकाइयाँ जेम पर प्रदान की गई उत्क्रम नीलामी उपकरण (टूल) को आवश्यकतानुसार अपना सकती हैं।
	(iv) ऑनलाइन ई–बोली/रिवर्स (उत्क्रम) नीलामी के लिए आमंत्रण जेम पोर्टल पर पंजीकृत सभी मौजूदा विक्रेताओं या अन्य विक्रेताओं के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने जेम के निबंधन और शर्तों के अनुसार खास उत्पाद/सेवा श्रेणी के तहत अपने वस्तुओं/सेवाओं का प्रस्ताव किया है।
	(v) उपर्युक्त मौद्रिक सीमा (समय–समय पर संशोधित) केवल जेम के माध्यम से की गई खरीद के लिए लागू है। जेम से बाहर खरीद के लिए, यदि कोई हो, के संबंध में बिहार वित्त नियमावली के संगत नियम लागू होंगे।
	(vi) खरीद इकाई आदेश निर्गत करने के पूर्व जेम पर उपलब्ध विभिन्न उपकरणों (टूल्स) का उपयोग करके कीमतों के औचित्य का पता लगा सकती है, जिसमें जेम पर अंतिम खरीद मूल्य, खरीद इकाई का अपना अंतिम खरीद मूल्य आदि शामिल हैं।
	(vii) जेम पर एल–1 खरीद/बोली/उत्क्रम नीलामी के माध्यम से खरीद करने से बचने या कुल मांग के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में आवश्यक उच्चतर प्राधिकारियों की अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के उद्देश्य से टुकड़ों में खरीद करने के लिए वस्तुओं की मांग को छोटी–छोटी मात्रा में विभाजित नहीं किया जाएगा ।
	(viii) खरीद इकाई जेम के माध्यम से खरीद करते समय अतिरिक्त नियम और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकती है जो उक्त खरीद पर लागू होगी।
	(ix) असाधारण परिस्थितियों में जैसे कि अति विशिष्ट व्यक्तियों की "राजकीय यात्रा" या प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि के समय जब वस्तुओं/सेवाओं को तुरंत प्राप्त करना आवश्यक हो, तो कारणों को अभिलिखित करते हुए सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राज्य स्तर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव और जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, जैसा भी मामला हो, की मंजूरी प्राप्त करने के बाद जेम पोर्टल के बाहर खरीद की जा सकती है।

130क	**खरीद में सत्यनिष्ठा संहिता**
	(1) खरीद इकाई का कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी या खरीद प्रक्रिया में भाग लेने वाला व्यक्ति नीचे यथाविहित सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं करेगा।
	(2) बोलीदाता या संभावित बोलीदाता जैसा भी मामला हो, द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी उल्लंघन के मामले में, खरीद इकाई इन नियमों में यथाविहित उचित उपाय कर सकेगी।
	(3) किसी खरीद इकाई या बोलीदाता का कोई भी पदधारी सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन में कार्य नहीं करेगा जिसमें शामिल हैः– (क) निषेध– (i) खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले में या अन्यथा खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रिश्वत, पुरस्कार या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ का कोई प्रस्ताव करना, उसके लिए याचना करना या उसे स्वीकार करना; (ii) कोई चूक, जिसमें गलत बयानी शामिल है जो वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी बाध्यता से बचने के लिए गुमराह करे या गुमराह करने का प्रयास करना; (iii) खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित या क्षति करने के लिए कोई षडयंत्र, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहार करना; (iv) खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने या व्यक्तिगत लाभ के इरादे से खरीद इकाई और बोलीदाता के बीच साझा की गई सूचना का अनुचित उपयोग करना; (v) निविदा या अनुबंध की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित बोलीदाता और खरीद इकाई के किसी भी कर्मचारी के बीच कोई वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन करना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद इकाई के निर्णय को प्रभावित करें; (vi) खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्षकार या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करने या नुकसान पहुँचाने या ऐसा करने के लिए बल प्रयोग या कोई धमकी देना;

	(vii) खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या लेखा परीक्षा में कोई बाधा देना; (viii) किसी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध हासिल करने के लिए कोई मिथ्या घोषणा करना या मिथ्या जानकारी प्रदान करना; ख. हितों के टकराव का खुलासा; ग. बोलीदाता द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी निकाय के साथ उपरोक्त उप–नियम–(3)(क) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किन्ही पिछले उल्लंघनों या किसी अन्य खरीद इकाई द्वारा उस पर किसी भी विवर्जन का प्रकटन।
	(4) खरीद इकाई, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि बोलीदाता या संभावित बोलीदाता, जैसा भी मामला हो, ने सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया है, तो वह समुचित उपाय कर सकता है।
130ख	**सभी खरीद पर लागू अनुमोदन और मंजूरी**
	(1) खरीद इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि या तो अपेक्षित बजट प्रावधान उपलब्ध है या वित्त पोषण के संबंध में वित्त विभाग से सैद्धांतिक अनुमोदन उपलब्ध है। (2) कार्य अनुबंध के मामले में, खरीद इकाई बिहार वित्त नियमावली के अध्याय–9 निर्माण कार्य से संबंधित नियम 199–210 में विहित प्रक्रिया का पालन करेगी। (3) खरीद इकाई बोलीदाता को आपूर्ति/कार्य आदेश देने से पहले बजट उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी।
131	**बोलीदाताओं का पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण)**
	(1) सरकारी उपयोग के लिए आमतौर पर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जो जेम पर उपलब्ध नहीं है, की खरीद के लिए विश्वसनीय स्रोत स्थापित करने की दृष्टि से, राज्य क्रय संगठन/प्रशासी विभाग/विभागाध्यक्ष/अन्य खरीद संस्थाएँ योग्य आपूर्तिकर्ताओं की मद–वार सूची तैयार और संधारित कर सकती है। आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण एक निष्पक्ष, पारदर्शी और युक्तियुक्त प्रक्रिया के बाद और उचित प्रचार–प्रसार के बाद किया जाना चाहिए। ऐसे अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को 'पंजीकृत आपूर्तिकर्ता' के रूप में जाना जाएगा। सभी खरीद इकाईयाँ, जब जैसा आवश्यक हो इन सूचियों का उपयोग कर सकती हैं। ऐसे पंजीकृत आपूर्तिकर्ता प्रथम दृष्टया सीमित निविदा पूछताछ के माध्यम से सामग्री की खरीद के लिए

	विचार के योग्य हैं।
	(2) बोलीदाता(ओं) की साख, विनिर्माण क्षमता, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, पिछला प्रदर्शन, बिक्री के बाद सेवा, वित्तीय पृष्ठभूमि आदि को पंजीकरण से पहले सावधानीपूर्वक सत्यापित किया जाना चाहिए।
	(3) बोलीदाता(ओं) को वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति के आधार पर एक निश्चित अवधि (1 से 3 वर्ष के बीच) के लिए पंजीकृत किया जाएगा। इस अवधि के अंत में, पंजीकरण जारी रखने के इच्छुक पंजीकृत बोलीदाताओं को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। नए बोलीदाता (बोलीदाताओं) को किसी भी समय पंजीकरण के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे इस नियम में दिए गए दिशा–निर्देशों में निर्धारित सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हों।
	(4) प्रत्येक पंजीकृत बोलीदाता के कार्य निष्पादन और आचरण पर संबंधित राज्य क्रय संगठन/प्रशासी विभाग/विभागाध्यक्ष/अन्य खरीद इकाई (जैसा भी मामला हो) द्वारा नजर रखी जाएगी। पंजीकृत बोलीदाता (बोलीदाताओं) को अनुमोदित बोलीदाताओं की सूची से हटाया जा सकता है यदि वे निबंधन के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहते हैं या समय पर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने में विफल रहते हैं या घटिया वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं या किसी सरकारी एजेंसी के साथ कोई मिथ्या घोषणा करते हैं या किसी अन्य आधार पर, जो सरकार की राय में, सार्वजनिक हित में नहीं है।
	(5) भारतीय एजेंटों की भर्ती:– व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अनिवार्य सूचीकरण योजना के अनुसार, भारतीय एजेंटों के लिए यह अनिवार्य है, जो अपने विदेशी मालिकों की ओर से सीधे दर बताना चाहते हैं, यदि आवश्यक हो तो स्वयं को राज्य क्रय संगठन या विभाग या अन्य खरीद इकाई के साथ सूचीबद्ध करा सकते है। ऐसे सूचीबद्ध भारतीय एजेंट अपने विदेशी मालिकों की ओर से बोली दर सीधे पेशकश कर सकते हैं।
131क	**मानक बोली दस्तावेज**
	(1) राज्य सरकार इन नियमों या इसके तहत बनाए गए दिशा–निर्देशों के तहत यथा उपबंधित खरीद के विभिन्न तरीकों और/या विभिन्न प्रकार के अनुबंधों के

	लिए मानक बोली दस्तावेज निर्धारित कर सकती है।
	(2) जटिल और नवाचार प्रकृति के खरीद के मामले में, संभव है कि खरीद इकाई को बोली दस्तावेजों के प्रावधानों को तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी नहीं हो, ऐसे मामलों में खरीद इकाई संभावित बोलीदाताओं के साथ विचार–विमर्श के लिए "पूर्व–सूचना बोली सम्मेलन" आमंत्रित करने पर विचार कर सकती है।
	(3) मानक बोली दस्तावेज में आम तौर पर खरीद की विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित अनुभाग हो सकती हैं: (क) अनुभाग–I बोलियाँ आमंत्रित करने का नोटिस (एन०आई०टी०) (ख) अनुभाग–II बोलीदाताओं के लिए अनुदेश और बोली डेटा शीट (ग) अनुभाग–III आवश्यकताओं की अनुसूची जिसमें विनिर्देश एवं तकनीकी ब्योरा ड्राइंग और पूरक जानकारी शामिल है जो खरीद की विषय वस्तु का वर्णन करती है। (घ) अनुभाग–IV योग्यता और मूल्यांकन मानदंड (जैसा लागू हो) (ड.) अनुभाग–V बोली प्रपत्र (च) अनुभाग–VI अनुबंध की सामान्य शर्तें (जी०सी०सी०) (छ) अनुभाग–VII अनुबंध की विशेष शर्तें (एस०सी०सी०) (ज) अनुभाग–VIII मूल्य अनुसूची (बोलीदाताओं द्वारा अपने मूल्य को उद्धृत करने के लिए उपयोग में लाये जाने की दृष्टि से)। (झ) अनुभाग–IX अनुबंध फॉर्म और अन्य फॉर्म यदि कोई हो ।
	(4) कार्य विभाग का नोडल विभाग मानक बोली दस्तावेज (एस०बी०डी०), मॉडल बोली दस्तावेज (एम०बी०डी०), निर्माण–सह–रखरखाव बोली दस्तावेज (सी०एम०बी०डी०), आदि जारी कर सकता है। नोडल विभाग तकनीकी बोली मूल्यांकन के संबंध में पात्रता और योग्यता मानदंड निर्धारित करने के लिए निर्देश और परिपत्र जारी कर सकता है।
131ख	**अधिप्राप्ति (खरीद) में खरीद अधिमानता**
	राज्य सरकार बिहार राज्य के भीतर स्थित औद्योगिक इकाइयों/उद्यमों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए खरीद अधिमानता नीति से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित कर सकती है। ऐसी खरीद अधिमानता नीति के प्रावधानों का इस

	संबंध में राज्य सरकार द्वारा सभी मौजूदा और अधिसूचित प्रावधानों पर अभिभावी प्रभाव होगा।
	नोट–राज्य सरकार द्वारा स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं या स्थानीय रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 अधिसूचित किया गया है। एक खरीद इकाई को इस नीति के तहत निर्धारित योग्य स्थानीय आपूर्तिकर्ता को लाभ प्रदान करना होगा।
131ग	**बोली प्रतिभूति**
	(1) विज्ञापित या सीमित निविदा पूछताछ के मामले में बोली की वैधता अवधि के दौरान बोलीदाता द्वारा अपनी बोली वापस लेने या उसमें परिवर्त्तन किये जाने से बचाव के लिए, बोलीदाताओं से बोली प्रतिभूति (जिसे अग्रधन या बयाना के रूप में भी जाना जाता है) बोलीदाताओं से प्राप्त की जानी होगी, सिवाय उन बोलीदाताओं के जिन्हें समय–समय पर संशोधित बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 के तहत बोली प्रतिभूति जमा करने से छूट दी गई है।
	(2) बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए। बोली प्रतिभूति की राशि आमतौर पर खरीदी जाने वाली वस्तु या सेवाओं के अनुमानित मूल्य के दो प्रतिशत से पाँच प्रतिशत के बीच होनी चाहिए। बोली प्रतिभूति की सहित राशि खरीद इकाई द्वारा तदनुसार निर्धारित की जानी चाहिए और बोली दस्तावेजों में इंगित की जानी चाहिए।
	(3) बोली प्रतिभूति आम तौर पर सरकारी पोर्टल के माध्यम से जमा या स्पष्ट और बिना शर्त बैंक गारंटी के रूप में ली जा सकती है, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में या विनिर्दिष्ट फार्मेट में। बोली प्रतिभूति को सभी प्रकार से क्रेता के हितों की रक्षा करने वाला किसी भी वाणिज्यिक बैंक से देय खाता डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। बोली प्रतिभूति बोली की मूल या विस्तारित वैधता की अंतिम अवधि से आगे पैंतालीस दिन या बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधिके लिए मान्य रहेगी,
	(4) मैनुअल बोली के मामले में लिखित बोली प्रतिभूति आवश्यक रूप से सील बंद बोली के साथ होगा। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक बोली के मामले में बोली को आमंत्रित करने वाले नोटिस में विनिर्दिष्ट बोली प्रस्तुत करने के साथ बोली प्रतिभूति प्रस्तुत

	की जाएगी।
	(5) बोलीदाता से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में जब्त कर ली जाएगी, अर्थात, क. जब बोलीदाता बोलियाँ खुलने के बाद अपनी बोली वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है; ख. जब बोलीदाता आपूर्ति/कार्य आदेश देने के बाद विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर समझौते, यदि कोई हो, को निष्पादित नहीं करता है; ग. जब बोलीदाता आपूर्ति/कार्य आदेश दिए जाने के बाद विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है; और घ. यदि बोलीदाता सत्यनिष्ठा संहिता से संबंधित नियम 130क में विनिर्दिष्ट बोलीदाताओं के लिए निर्धारित सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।
	(6) असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूतियों को अंतिम बोली की वैधता की समाप्ति के बाद जल्द से जल्द और अनुबंध दिए जाने के बाद 30वें दिन या उससे पहले उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए।
131घ	**खरीद इकाई का मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार**
	(1) यदि बोली दस्तावेजों (अनिवार्य रूप से शामिल) में अनुमति दी गई है, तो अनुबंध में दी गई दरों और शर्तों पर अतिरिक्त मात्रा के लिए आदेश दिए जा सकते हैं। डिलीवरी या समापन अवधि को भी आनुपातिक रूप से बढ़ाया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि अनुबंध के पूरा होने के बाद ऐसी अतिरिक्त मात्रा पर विचार नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त मात्रा के लिए आदेशों की सीमा खरीद इकाई द्वारा वस्तु, कार्य और गैर–परामर्शी सेवाओं के मामले में अनुबंध के मूल्य के 20% से अधिक नहीं होगी। (2) परामर्शी सेवाओं के लिए अतिरिक्त मात्रा के लिए आदेश की सीमा प्रशासी विभाग के अनुमोदन से 20% तक बढ़ाई जा सकती है। (3) 20% से अधिक की अतिरिक्त मात्रा के लिए आदेश की सीमा में कोई और पुनरीक्षण को वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
131ङ	**आदेशों को कम मात्रा में विभाजित करना**

	कुल मांग के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में उच्च प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने हेतु टुकड़ों में खरीदारी करने के लिए माल की मांग को छोटी-छोटी मात्रा में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।
131च	**खरीद प्रक्रिया को रद्द करना**
	(1) एक खरीद इकाई, कारणों को अभिलिखित करते हुए कार्य आदेश जारी करने से पहले किसी भी समय अपने द्वारा शुरू की गई खरीद की प्रक्रिया को रद्द कर सकती है।
	(2) खरीद को रद्द करने के निर्णय एवं ऐसे निर्णय लेने के कारणों की सूचना खरीद इकाई द्वारा तुरंत उन सभी बोलीदाताओं को संसूचित की जाएगी जिन्होंने इस खरीद प्रक्रिया में भाग लिया था।
	(3) यदि कोई खरीद प्रक्रिया रद्द कर दी गई है, तो इसे फिर से नहीं खोला जाएगा, किन्तु आवश्यक होने पर यह खरीद इकाई को इसी प्रकार के खरीद के विषय के लिए एक नई खरीद प्रक्रिया शुरू करने से नहीं रोकेगा।
131छ	**कोटेशन के बिना वस्तुओं की खरीद**
	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज किए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर कोटेशन (दर उद्धरण) या बोलियां आमंत्रित किए बिना प्रत्येक अवसर पर केवल ₹50000/- (पचास हजार रुपये) के मूल्य तक की वस्तु की खरीद की जा सकती है-"मैं, ..., व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूं कि खरीदे गए ये सामान अपेक्षित गुणवत्ता और विनिर्देश के हैं और एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से उचित मूल्य पर खरीदे गए हैं।"
131ज	**क्रय समिति द्वारा वस्तु की खरीद**
	यदि जेम पोर्टल पर कोई खास वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो प्रत्येक अवसर पर ₹50,000/- (पचास हजार) से अधिक और ₹500000/-(पांच लाख) तक के मूल्य के वस्तु की खरीद विधिवत् रूप से गठित स्थानीय क्रय समिति की अनुशंसा पर की जा सकती है, जिसमें वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए उचित स्तर के तीन सदस्य शामिल होंगे। समिति युक्तियुक्त दर, गुणवत्ता और विनिर्देशों के औचित्य का पता लगाने और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता की पहचान करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी। क्रय

	आदेश देने की अनुशंसा करने से पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रूप से निम्नानुसार प्रमाण–पत्र अभिलिखित करेंगे। "प्रमाणित किया जाता है कि हम,................. क्रय समिति के सदस्य संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हैं कि खरीद के लिए अनुशंसित सामान अपेक्षित विनिर्देश और गुणवत्ता के हैं, उनकी कीमत प्रचलित बाजार दर पर है और अनुशंसित आपूर्तिकर्ता विश्वसनीय है और विचाराधीन माल की आपूर्ति करने के लिए सक्षम है, और यह नोडल विभाग या संबंधित विभाग द्वारा विवर्जित नहीं किया गया है।"
131झ	**दर अनुबंध के तहत सीधे वस्तुओं की खरीद**
	(1) खरीद इकाई आपूर्तिकर्ताओं से राज्य क्रय संगठन के माध्यम से दर अनुबंधित सामग्रियों की खरीद कर सकती है। खरीद इकाई, आपूर्तिकर्ताओं से नामित वस्तुओं और सेवाओं के लिए दर अनुबंध कर सकते हैं। (2) ऐसी वस्तुओं के लिए भुगतान की जाने वाली कीमतें दर अनुबंध में निर्धारित कीमतों से अधिक नहीं होंगी और खरीद के अन्य मुख्य नियम और शर्तें दर अनुबंध में वर्णित विनिर्दिष्ट के अनुरूप होनी चाहिए। विभाग/खरीद इकाई जहां आवश्यक हो, ऐसी वस्तुओं के निरीक्षण और परीक्षण के लिए अपनी व्यवस्था कर सकेगा। (3) राज्य क्रय संगठन (जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय) द्वारा खरीद इकाई के उपयोग के लिए उचित रूप से अद्यतन की गई दर अनुबंधित वस्तुओं के विभिन्न दर, विनिर्देशों, कीमतों और अन्य मुख्य विवरणों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराना चाहिए।
131 ञ	**बोलियाँ प्राप्त करके वस्तुओं की खरीद**
	नियम 131छ, 131ज और 131झ के तहत आच्छादित मामलों को छोड़कर, खरीद इकाई निम्नलिखित में बोलियाँ प्राप्त करने की मानक विधि का पालन करके नियम–128 में निर्दिष्ट शक्तियों के तहत वस्तुओं और सेवाओं की तथा बिहार वित्त नियमावली के अध्याय–9, खंड–1 के नियम–208–209 में निर्दिष्ट शक्तियों के तहत कार्यों की खरीद करेगी:– (1) विज्ञापित निविदा पूछताछ; या

	(2) सीमित निविदा पूछताछ; या (3) एकल निविदा पूछताछ/नामांकन; या (4) इलैक्ट्रानिक उत्क्रम नीलामियाँ; या (5) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित खरीद की कोई अन्य पद्धति जो इन नियमों में निहित खरीद के सिद्धांतों को पूरा करती है जिसे राज्य सरकार लोक हित में आवश्यक मानती है।
131ट	ई–प्रकाशन
	(1) सभी खरीद इकाइयाँ अपनी निविदा पूछताछ, उस पर शुद्धि–पत्र और बोली प्रदान करने का विवरण का प्रकाशन समय–समय पर अधिसूचित राज्य पोर्टल पर कर सकती हैं।
	(2) उपरोक्त अनुदेश सभी निविदा पूछताछ, प्रस्तावों के अनुरोध, रूचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध, पूर्व–योग्यता/पंजीकरण के लिए नोटिस या किसी भी रूप में बोलियों या प्रस्तावों को आमंत्रित करने वाले किसी अन्य नोटिस पर लागू होते हैं, चाहे वे विज्ञापित हों, सीमित संख्या में पक्षकारों को या एक ही पक्षकार को जारी किए गए हों।
	(3) ये अनुदेश बिहार वित्त नियमवली के नियम 131छ या नियम 131ज के प्रावधानों के अनुसार की गई खरीद पर लागू नहीं होंगे।
131 ठ	**ई–खरीद**
	जहां तक संभव हो, सभी खरीद के मामलों में (नियम 131छ और 131ज को छोड़कर), सभी खरीद इकाइयाँ राज्य के ई–खरीद पोर्टल या जेम (जैसा भी मामला हो) के माध्यम से बोलियां प्राप्त करेंगी।
131 ड	**विज्ञापित निविदा पूछताछ**
	(1) नियम–131छ, 131झ, 131ढ और 131द के तहत शामिल अपवादों के अधीन विज्ञापन द्वारा निविदाओं के आमंत्रण का उपयोग ₹50 लाख और उससे अधिक के अनुमानित मूल्य के वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में विज्ञापन जेम या राज्य के ई–खरीद पोर्टल (जैसा लागू हो) पर दिया जाना चाहिए। जेम के बाहर खरीद के मामले में विज्ञापन सूचना एवं जन संपर्क विभाग

	(आई०पी०आर०डी०) के माध्यम से व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। नोट–₹5 करोड़ तक की खरीद के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एन०आई०टी०) का प्रकाशन राज्य के दैनिक समाचार पत्र में किया जाना चाहिए और ₹5 करोड़ से अधिक की खरीद के मामले में कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन किया जाना चाहिए।
	(2) अपनी वेबसाइट वाले संगठन को अपनी सभी विज्ञापित निविदा पूछताछ वेबसाइट पर भी प्रकाशित करनी चाहिए। कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापनों द्वारा अपनी उक्त वेबसाइट का पता प्रकाशित कर देना चाहिए।
	(3) संगठन को अपनी वेबसाइट पर पूर्ण बोली दस्तावेज भी पोस्ट करना चाहिए और संभावित बोलीदाताओं को वेबसाइट से डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि इस तरह के डाउनलोड किए गए बोली दस्तावेज की कीमत तय की गई है, तो बोलीदाता को बोली के साथ मांग बैंक ड्राफ्ट आदि द्वारा राशि का भुगतान करने के स्पष्ट निर्देश दिये जाने चाहिए। व्यापक भागीदारी और बोली लगाने में सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, विभाग/खरीद इकाई बोलीदाताओं द्वारा डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेजों के लिए शुल्क नहीं लेने का निर्णय ले सकते हैं।
	(4) वैश्विक निविदा पूछताछ (जी०टी०ई०):– जहां खरीद इकाई को लगता है कि अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देशों आदि वाली वस्तु देश में उपलब्ध नहीं हो सकती है और विदेश से उपयुक्त प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों की तलाश करना भी आवश्यक है, खरीद इकाई निविदा सूचना की प्रतियां विदेश में भारतीय दूतावासों के साथ–साथ भारत में विदेशी दूतावासों को भेज सकता है। दूतावासों का चयन ऐसे देशों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की संभावना पर निर्भर करेगा। ऐसे मामलों में ई–खरीद से छूट दी जा सकती है। हालांकि ₹100 करोड़ तक या वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक की निविदाओं के लिए कोई जी०टी०ई० आमंत्रित नहीं किया जाएगा। परन्तु ऐसी सीमा से नीचे की निविदाओं के लिए, आपवादिक मामलों में जहां खरीद इकाई को लगता है कि जी०टी०ई० के लिए विशेष कारण हैं, यह अपने

	विस्तृत औचित्य को दर्ज कर सकता है और वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी से उपरोक्त नियम में छूट के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। नोट– वैश्विक निविदाओं से वे निविदाएँ अभिप्रेत हैं जो अपने देश में कम प्रतिस्पर्धा के कारण विश्व स्तर पर जारी की जाती हैं, या निविदा की एक विशेष आवश्यकता होती है (कोई भी सामग्री, आदि) जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं । एक खुली निविदा और एक वैश्विक निविदा पूछताछ जाँच के बीच माना जाने वाला मूल अंतर अनिवार्य रूप से इसकी प्रयोज्यता की सीमा है, जहाँ एक वैश्विक निविदा को दुनिया भर में प्रचार मिलता है, वहीं एक खुली निविदा केवल एक देश के भीतर सीमित होती है।
	(5) आमतौर पर, बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी जाने वाली न्यूनतम समय निविदा सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन सप्ताह या बिक्री के लिए बोली दस्तावेज की उपलब्धता, जो भी बाद में हो, होनी चाहिए। जहाँ खरीद इकाई विदेश से बोलियां प्राप्त करने पर भी विचार करता है, घरेलू और विदेशी दोनों बोलीदाताओं के लिए न्यूनतम अवधि चार सप्ताह रखी जानी चाहिए।
131ढ़	**सीमित निविदा पूछताछ**
	(1) इस पद्धति को तब अपनाया जा सकता है जब खरीदी जाने वाली वस्तुओं का अनुमानित मूल्य ₹50,00,000/–(पचास लाख रुपये मात्र) तक या वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित सीमा तक हो। बोली दस्तावेज की प्रतियाँ सीधे स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/कूरियर/ई–मेल द्वारा उन फर्मों को भेजी जानी चाहिए जो ऊपर नियम–131 के तहत संदर्भित वस्तुओं के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची में शामिल है। सीमित निविदा पूछताछ में आपूर्तिकर्ता फर्मों की संख्या तीन से अधिक होनी चाहिए। अधिक संख्या में अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धी आधार पर अधिक उत्तरदायी बोली प्राप्त की जा सके। इसके अलावा, एक खरीद इकाई को ई–खरीद प्लेटफॉर्म या किसी अन्य प्लेटफॉर्म (जैसा लागू हो) या विभागीय वेबसाइट पर अपनी सीमित निविदा पूछताछ प्रकाशित करनी चाहिए।
	(2) निम्नलिखित परिस्थितियों में सीमित निविदा पूछताछ के माध्यम से खरीद को

	तब भी अपनाया जा सकता है जब खरीद का अनुमानित मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक हो, :– क. विभाग/खरीद इकाई में सक्षम प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि मांग तत्काल जरूरी है और विज्ञापित निविदा पूछताछ के माध्यम से खरीद नहीं करने से होने वाला कोई भी अतिरिक्त व्यय अत्यावश्यकता के मद्देनजर उचित है। खरीद इकाई को अत्यावश्यकता की प्रकृति और कारणों को भी रिकॉर्ड पर रखना चाहिए कि खरीद का पूर्व अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सका है जिसे संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ख. सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जायेंगे कि ऐसे पर्याप्त कारण हैं, जो दर्शाते हैं कि विज्ञापित निविदा पूछताछ के माध्यम से वस्तुओं की खरीद लोक हित में नहीं होगा। ग. आपूर्ति के स्रोत निश्चित रूप से ज्ञात हैं और उपयोग किए जा रहे स्रोतों के अलावा नए स्रोत (स्रोतों) की संभावना बहुत कम है।
	(3) आम तौर पर सीमित निविदा पूछताछ के मामलों में बोलियाँ जमा करने के लिए पर्याप्त समय की अनुमति दी जानी चाहिए जो दस दिनों से कम नहीं होगी। हालाँकि, खरीद इकाई की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए खरीद इकाई ऐसे समय सीमा का निर्णय ले सकते हैं।
131 ण	**दो बोली प्रणाली (अलग–अलग तकनीकी और वित्तीय बोलियों की एक साथ प्राप्ति)**
	(1) उच्च मूल्य का संयंत्र, मशीनरी आदि और जटिल तथा तकनीकी प्रकृति के वस्तु/सेवाओं की खरीद के लिए बोलियां दो भागों में निम्नानुसार प्राप्त की जानी चाहिए। क. वाणिज्यिक निबंधन और शर्तों के साथ सभी तकनीकी विवरणों से युक्त तकनीकी बोली; और ख. तकनीकी बोली में उल्लिखित मदों के लिए मद–वार मूल्य दर्शाने वाली वित्तीय बोली। (2) तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को बोलीदाता द्वारा अलग–अलग लिफाफों में सीलबंद कर सम्यक् रूप से ऊपर लिख दिया जाना चाहिए और इन दोनों

	सीलबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिसके ऊपर सम्यक् रूप से लिखकर सीलबंद किया जाना चाहिए। खरीद इकाई द्वारा बोलीदाताओं को तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय की सूचना देकर बोलीदाताओं की उपस्थिति में पहले तकनीकी बोली खोला जाना चाहिए और एक सक्षम समिति या प्राधिकरण द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। (3) दूसरे चरण में केवल तकनीकी रूप से स्वीकार्य प्रस्तावों के वित्तीय बोलियां उन्हें अनुबंध देने से पहले आगे मूल्यांकन और श्रेणी के लिए वित्तीय बोली खोलने की तिथि और समय की सूचना देने के बाद खोली जानी चाहिए।
131 त	**एकल बोली**
	(1) सामान्यतः बोलियाँ खोलने के लिए न्यूनतम दो बोलियाँ आवश्यक होंगी। प्रथम दृष्टया एकल बोली को कोई बोली नहीं माना जा सकेगा। (2) निम्नलिखित मामलों में, एक बोली को एकल बोली माना जाएगा :– (क) पहली बार निविदा के दौरान खरीद इकाई द्वारा प्राप्त केवल एक बोली, या (ख) खरीद इकाई द्वारा कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है, या (ग) खरीद इकाई द्वारा दो या दो से अधिक बोलियाँ प्राप्त की जाती हैं, लेकिन खरीद इकाई द्वारा प्राप्त तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन करने के बाद केवल एक बोली लगाने वाला योग्य होता है, जिसका अभिप्रेत है कि मूल्यांकन के लिए केवल एक बोली लगाने वाले की वित्तीय बोली शेष रहती है। (3) उपरोक्त सभी तीन स्थितियाँ प्रथम दृष्टया में एकल बोली का मामला है। खरीद इकाई बोली को रद्द करेगी और तुरंत निविदा को पुनः आमंत्रित करेगी। पुनः बोली प्रस्तुत करने का समय दस दिनों से कम नहीं होगा। (4) पुनः निविदा आमंत्रित करने के बाद भी, केवल एक बोली प्राप्त होती है या तकनीकी मूल्यांकन के बाद वित्तीय बोली के मूल्यांकन के लिए केवल एक बोली शेष रहती है, तो इस मामले में खरीद प्राधिकार परिशिष्ट–16 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से सम्यक् अनुमोदन प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। (5) 'बिहार लोक निर्माण संहिता' में संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा भी ऐसा ही संशोधन किया जाना आवश्यक होगा।

131 थ	**विलंबित बोली**
	विज्ञापित निविदा पूछताछ/सीमित निविदा पूछताछ/किसी अन्य निविदा प्रक्रिया के मामले में, विलंबित बोलियाँ (अर्थात बोलियों की प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
131 द	**एकल निविदा पूछताछ/नामांकन आधार चयन**
	निम्नलिखित अपवादिक परिस्थितियों में राज्य हित में सक्षम प्राधिकार (जैसा कि परिशिष्ट–16 में विहित है) से सम्यक् अनुमोदन प्राप्त कर एकल स्रोत से खरीद किया जा सकेगा :– (i) संबंधित खरीद ईकाई की जानकारी में यह है कि केवल एक विशेष फर्म अपेक्षित वस्तु का निर्माता है, किसी विशेष फर्म से खरीद करने का कारण अभिलेखित किया जाय और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। (ii) मशीनरी या स्पेयर पार्ट्स (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित) के मानकीकरण के लिए, उपकरण के मौजूदा सेट के अनुकूल होना (एक सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित), आवश्यक मद (वस्तु) केवल एक चयनित फर्म से क्रय किया जाना है। (iii) आपातकाल की स्थिति में, आवश्यक वस्तु अनिवार्य रूप से किसी विशेष स्रोत से क्रय किया जाना है और ऐसे निर्णय का कारण दर्ज किया जाना है तथा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। नोटः 1 उपरोक्त उप–नियम (i) और (ii) के प्रावधान के तहत एक ही स्रोत से वस्तु खरीदने से पहले खरीद इकाई द्वारा प्रपत्र (फॉर्म) एकल स्वामित्व वस्तु प्रमाण पत्र निम्नलिखित रूप में प्रदान किया जाना हैः– (i) मांग पत्रित (क्रय की जाने वाली) वस्तु मेसर्स द्वारा निर्मित है। .... (ii) निम्नलिखित कारणों से कोई अन्य रचना या मॉडल स्वीकार्य नहीं है : .... (iii) प्रस्ताव के लिए आंतरिक वित्तीय सलाहकार/वित्त विभाग की सहमति : .... (iv) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन माँगकर्त्ता पदाधिकारी का हस्ताक्षर, दिनांक एवं पदनाम

131 ध	**इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी (ई–रिवर्स नीलामी)**
	(1) इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी से अभिप्रेत है सफल बोली का चयन करने के लिए खरीद इकाई द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली एक ऑनलाईन वास्तविक–समय आधारित क्रय तकनीक से है, जिसमें बोलीदाताओं द्वारा एक निर्धारित समयावधि के दौरान क्रमिक रूप से अधिक अनुकूल बोलियाँ प्रस्तुत की जाती है और बोलियों का स्वतः मूल्यांकन होता चलता है। (2) कोई भी खरीद इकाई इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी पद्धति द्वारा खरीद की विषय वस्तु खरीद का विकल्प चुन सकेगी, यदि; (क) खरीद इकाई के लिए खरीद की विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन करना संभव हो; (ख) इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी में भाग लेने के लिए योग्य संभावित बोलीदाताओं का एक प्रतिस्पर्धी बाजार हो ताकि प्रभावी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके; (ग) सफल बोली निर्धारित करने में खरीद इकाई द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड मात्रात्मक रूप से परिमेय हो और उन्हें मौद्रिक रूप में अभिव्यक्त किया जा सके; और (घ) सफल बोलीदाता का चयन कम से कम लागत चयन विधि (लीस्ट कॉस्ट चयन पद्धति) द्वारा किया जाना है। (3) इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी की प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:– क) खरीद इकाई, ई–खरीद के समान प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित या संप्रेषित की जाने वाली विधि से इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी के लिए आमंत्रण के माध्यम से बोलियों की याचना करेगी। ख) आमंत्रण, ई–खरीद में यथा विनिर्दिष्ट सूचना के अतिरिक्त, नीलामी तक एवं निबंधन के लिए पहुँच संपर्क सूत्र से संबंधित विवरण, नीलामी खोलने और बंद होने तथा नीलामी के संचालन के लिए मानदंडों से संबंधित विवरणी शामिल होगा; तथा (ग)वित्त विभाग द्वारा इसके तहत समय–समय पर अधिसूचित कोई अन्य दिशा–निर्देश और प्रक्रियाएँ।

131 न	**रखरखाव अनुबंध**
	क्रय किये जाने वाले वस्तुओं या सेवाओं की लागत और प्रकृति के आधार पर, वस्तु/सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के साथ या किसी अन्य सक्षम फर्म, जरूरी नहीं कि ये विषय वस्तुओं/सेवाओं का आपूर्तिकर्ता ही हो, के साथ उपयुक्त अवधि के रख–रखाव अनुबंध (अनुबंधों) भी अनिवार्यतः हो सकेगा। ऐसे रख–रखाव के लिए संविदा की आवश्यकता विशेष रूप से परिष्कृत और महंगे उपकरण तथा मशीनरी या तकनीकी रूप से जटिल सेवा अनुबंध के लिए होती है। हालांकि, यह बात ध्यान में रखा जायेगा कि वस्तु या सेवाओं को आपूर्तिकर्ता द्वारा अपनी वारंटी अवधि या ऐसी अन्य विस्तारित अवधि के दौरान, जैसा अनुबंध की शर्तों में प्रावधान हो, रख–रखाव निःशुल्क बनाए रखा जायेगा और शुल्क के साथ रख–रखाव केवल उसके बाद ही शुरू होना चाहिए। खरीद इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि रख–रखाव अनुबंध वस्तु या सेवाओं की वारंटी अवधि की समाप्ति से पहले संशोधित किया जाएगा।
131 प	**निष्पादन सुरक्षा**
	(1) अनुबंध सम्यक् निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, अनुबंध प्राप्त सफल बोलीदाता से निष्पादन सुरक्षा प्राप्त की जानी है। उन बोलीदाताओं को छोड़कर सभी सफल बोलीदाताओं से निष्पादन सुरक्षा मांगी जाएगी जिन्हें समय–समय पर संशोधित बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 के तहत बोली सुरक्षा जमा करने से छूट दी गई है।
	(2) निष्पादन सुरक्षा बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट अनुबंध के मूल्य का पांच (5) प्रतिशत से दस (10) प्रतिशत के बीच होनी चाहिए। परामर्श सेवाओं की खरीद के संबंध में, बैंक गारंटी अनुबंध मूल्य का (3–5 प्रतिशत) की राशि के बराबर होना चाहिए। इस उप–नियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, जहां राज्य सरकार की राय है कि प्राकृतिक आपदा या महामारी या महामारी रोग या बाढ़ आदि जैसी गंभीर स्थितियां मौजूद हैं, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, राज्य सरकार, खरीद इकाई को चालू परियोजनाओं के मौजूदा अनुबंधों के मामले में ली गई निष्पादन सुरक्षा को, ऐसी तिथि से और ऐसी शर्तों पर, जैसा कि

	आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, कम करने का निदेश दे सकेगी।
	(3) सभी प्रकार से क्रेता के हितों की रक्षा करने वाले निम्नलिखित स्वीकार्य प्रपत्रों में से किसी एक में निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत की जाएगी। ; (क) सरकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान; (ख) एक वाणिज्यिक बैंक की बैंक गारंटी, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। इसे जारी करने वाले बैंक से सत्यापित किया जाएगा; (ग) एक वाणिज्यिक बैंक से खाता आदाता डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद; तथा (घ) बैंक गारंटी/ई–बैंक गारंटी के संबंध में अन्य शर्तें "बोली सुरक्षा" के नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के जैसी होंगी।
	(4) प्रस्तुत निष्पादन सुरक्षा वारंटी दायित्वों और रख–रखाव तथा दोष (चूक) दायित्व अवधि सहित बोलीदाताओं के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तिथि से साठ दिनों (या बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट के अनुसार) की अवधि के लिए वैध रहेगी।
	(5) निष्पादन सुरक्षा प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता को बोली सुरक्षा वापस कर दी जानी चाहिए।
131 फ	**आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम और आंशिक भुगतान**
	(1) आपूर्तिकर्ता को अग्रिम भुगतानः– आमतौर पर प्रदान की गई सेवाओं या की गई आपूर्ति के लिए भुगतान केवल तभी जारी किया जाना चाहिए जब सेवाएँ प्रदान कर दी गई हों या आपूर्ति कर दी गयी हों, हालांकि, निम्नलिखित प्रकार के मामलों में अग्रिम भुगतान करना आवश्यक हो सकता है:– (i) एयर कंडीशनरों, कंप्यूटरों, अन्य महंगे उपकरण आदि की सर्विसिंग के लिए रख–रखाव अनुबंध रखने वाली फर्मों द्वारा माँगे गए अग्रिम भुगतान। (ii) निर्माण अनुबंधों, टर्न–की अनुबंधों आदि के लिए फर्मों द्वारा मांगे गए अग्रिम भुगतान। (iii) ऐसे अग्रिम भुगतान निम्नलिखित सीमाओं से अधिक नहीं होने चाहिए:– क) निजी फर्मों को अनुबंध मूल्य का तीस प्रतिशत; ख) किसी राज्य या भारत सरकार की एजेंसी या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को

	अनुबंध मूल्य का चालीस प्रतिशत; या ग) रख–रखाव अनुबंध के मामले में, राशि अनुबंध के तहत छह महीने के लिए देय राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। (iv) प्रशासी विभाग, वित्त विभाग के परामर्श से, ऊपर उल्लिखित सीमा (निजी फर्मों हेतु अग्रिम भुगतान के लिए निर्धारित प्रतिशत सहित) में छूट दे सकेगा। उपरोक्त के अनुसार कोई भी अग्रिम भुगतान करते समय, फर्म से बैंक गारंटी आदि के रूप में पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्राप्त किया जाना चाहिए।
	(2) आपूर्तिकर्ताओं को आंशिक भुगतान अनुबंध में शामिल वितरण की शर्तों के आधार पर, अनुबंध के अनुसार अपने परिसर से वस्तु भेजने के बाद आपूर्तिकर्ता को आंशिक भुगतान जारी किया जा सकेगा।
131 ब	**खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता रखा जाना और स्वेच्छाचारिता का उन्मूलन**
	सभी सरकारी खरीद पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए, ताकि धन के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्ति/उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।वह संभावित बोलीदाताओं को विश्वास के साथ अपनी प्रतिस्पर्धी बोलियां तैयार करने और भेजने में भी सक्षम करेगा। उपरोक्त को सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार है:–
	(i) बोली दस्तावेज या प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर०एफ०पी०) का पाठ खरीद की विषय वस्तु के पूर्ण विवरण के साथ स्पष्ट, स्व–निहित और व्यापक होना चाहिए जो खरीद इकाई की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह वस्तुनिष्ठ, कार्यात्मक, सामान्य और मापने योग्य होगा। इसने प्रासंगिक तकनीकी, गुणवत्ता और प्रदर्शन विशेषताओं को निर्धारित किया। सभी आवश्यक जानकारी, जो एक बोलीदाता को उत्तरदायी बोली भेजने के लिए आवश्यक है, को बोली दस्तावेज में सरल भाषा में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। बिहार खरीद अधिमानता नीति–2024के तहत अधिसूचित पूर्व टर्नओवर और पूर्व अनुभव की शर्त में छूट दी जा सकेगी, जो गुणवत्ता और तकनीकी विनिर्देशों की बैठक और बोली दस्तावेज में उपयुक्त प्रावधानों के अधीन है। बोली दस्तावेज में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल होने चाहिए:

	क) वस्तु/सेवाओं का विवरण और विनिर्देश के साथ–साथ उसका स्वरूप, मात्रा, और सुपुर्दगी का समय और स्थान/स्थानों का उल्लेख हों। ख) बोलीदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता और योग्यता के मानदंड जैसे न्यूनतम स्तर का अनुभव, पिछला प्रदर्शन, तकनीकी क्षमता, विनिर्माण सुविधाएँ और वित्तीय स्थिति आदि या बोलीदाताओं की भागीदारी के लिए सीमा, यदि कोई हो। ग) वस्त/सेवाओं के लिए पात्रता मानदंड जिसमें वस्तु का स्रोत आदि के बारे में कोई कानूनी (विधिक) प्रतिबंधों या शर्तें दर्शायी गई हो, जिसे सफल बोलीदाता द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित हो। घ) बोलियाँ भेजने की प्रक्रिया तथा तिथि, समय और स्थान। ङ) बोलियाँ खोलने की तिथि, समय और स्थान। च) बोलियों के मूल्यांकन के लिए मानदंड छ) कार्य निष्पादन को प्रभावित करने वाली विशेष शर्तें, यदि कोई हों। ज) खरीद अनुबंध की आवश्यक शर्तें और सुपुर्दगी की शर्तें। झ) बोली दस्तावेजों में एक खंड शामिल होना चाहिए कि यदि कोई फर्म शून्य शुल्क प्रभार/प्रतिफल प्रस्तुत उद्धृत करती है, तो बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
	(ii) कोई अन्य जानकारी जिसे खरीद इकाई बोलीदाताओं के लिए अपनी बोली प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक समझे।
	(iii) बोली दस्तावेज में संशोधनः– क) यदि बोली दस्तावेज में कोई संशोधन किया जाता है, या कोई स्पष्टीकरण जारी किया जाता है जो बोली दस्तावेज में निहित शर्तो को भौतिक रूप से प्रभावित करता है, तो खरीद इकाई ऐसे संशोधन या स्पष्टीकरण को उसी तरह प्रकाशित या संप्रेषित करेगी जैसे मूल बोली दस्तावेज का प्रकाशन या संप्रेषण किया गया था। ख) यदि बोली दस्तावेज में स्पष्टीकरण या संशोधन जारी किया जाता है, तो खरीद इकाई बोलियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले, यदि, उसकी राय में बोलीदाताओं द्वारा जैसा भी मामला हो, अपनी बोलियां जमा करते समय स्पष्टीकरण या संशोधन को ध्यान में रखने के लिए अधिक समय की आवश्यकता

	होती है, ऐसी समय सीमा का विस्तार करेगी। ग) कोई भी बोलीदाता जिसने मूल आमंत्रण के उत्तर में अपनी बोली प्रस्तुत की है, जैसा भी मामला हो, यदि बोली दस्तावेज में संशोधन खरीद की आवश्यक शर्तों को भौतिक रूप से प्रभावित करता है तो उसे संशोधित करने या पुनः प्रस्तुत करने या ऐसी बोली को वापस लेने का अवसर होगा जो कि खरीद इकाई द्वारा बोली दस्तावेज में संशोधन किए जाने के बाद, प्रारंभ में आवंटित अवधि के भीतर या बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए दी जाने वाली समयावधि के भीतर होगा, परंतु अंतिम बार प्रस्तुत की गयी बोली, या बोलीदाता द्वारा संशोधित बोली को मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।
	(iv) बोली दस्तावेज में उपयुक्त प्रावधान रखा जाना चाहिए ताकि बोलीदाता बोली की शर्तों, बोली प्रक्रिया और/या अपनी बोली की अस्वीकृति पर प्रश्न कर सके। संभावित बोलीदाता को निविदा को अस्वीकार करने या निविदा दस्तावेज जारी न करने के कारणों का खुलासा किया जाना चाहिए जहाँ बोलीदाता द्वारा पृच्छा की जाती है।
	(v) परिणामी अनुबंध से उत्पन्न विवादों, यदि कोई हो, के निपटारा के लिए उपयुक्त प्रावधान, बोली दस्तावेज में रखा जाना चाहिए।
	(vi) बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि परिणामी अनुबंध की व्याख्या भारतीय कानूनों (विशिष्ट राज्य कानूनों सहित) के तहत की जाएगी।
	(vii) बोलीदाताओं को अपनी बोली तैयार करने और भेजने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।
	(viii) बोलियों को सार्वजनिक रूप से खोला जाना चाहिए और बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों को बोली खुलने के समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।
	(ix) अपेक्षित वस्तुओं के विनिर्देशों को बिना किसी अस्पष्टता के स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ताकि संभावित बोलीदाता सार्थक बोलियाँ भेज सकें। पर्याप्त संख्या में बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए, विनिर्देश संभव सीमा तक व्यापक होना चाहिए। मानक विनिर्देशों का उपयोग करने के प्रयास भी किए जाने

	चाहिए जो उद्योग में व्यापक रूप से ज्ञात हैं।
	(x) बोली पूर्व सम्मेलन या विचार विमर्शः–परिष्कृत और महंगे उपकरणों की खरीद के लिए टर्न की अनुबंध या विशेष प्रकृति अनुबंध के मामले में या जहां भी आवश्यक समझा जाए, बोली दस्तावेज में अनुमानित संयंत्र, उपकरण और मशीनरी आदि के विनिर्दिशों तथा अन्य संबद्ध तकनीकी विवरणों के बारे में, मुद्दों को स्पष्ट करने और संदेहों को दूर करने के लिये, यदि कोई हो, बोली पूर्व सम्मेलन के एक या अधिक दौर के लिए बोली दस्तावेजों में एक उपयुक्त प्रावधान रखा जाना चाहिए। बोली–पूर्व सम्मेलन की तिथि, समय और स्थान बोली दस्तावेज में दर्शाया जाना चाहिए। यह तिथि बोली खुलने की तिथि से काफी पहले होनी चाहिए। ऐसे सम्मेलन के अभिलेख से सभी बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा और उन वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएँगे जहाँ निविदा प्रकाशित की गयी थी।
	(xi) बोलियों के मूल्यांकन के लिए जवाबदेही निर्धारित करने के मानदंड को ध्यान में रखा जाना चाहिए जैसेः– क) सुपुर्दगी का समय। ख) प्रदर्शन / दक्षता / पर्यावरणीय विशेषताएँ। ग) खरीद की विषय वस्तु के संबंध में भुगतान की और गारंटी की शर्तें घ) मूल्य। ङ) प्रचालन, रख–रखाव और मरम्मत आदि की लागत।
	(xii) प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में पहले से शामिल निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। बोली दस्तावेजों में शामिल नहीं की गई कोई भी नई शर्त बोलियों के मूल्यांकन के लिए नहीं लाई जानी चाहिए। बोली की जवाबदेही का निर्धारण बाह्य साक्ष्य का सहारा लिए बिना बोली की विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए।
	(xiii) बोलीदाताओं को बोलियों की प्राप्ति की समय सीमा समाप्त होने के बाद अपनी बोलियों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
	(xiv) बोली खुलने के बाद बोलीदाताओं के साथ बातचीत को गंभीर रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हालांकि, अपवादिक परिस्थितियों में जहाँ कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण तदर्थ खरीद के लिए मूल्य पर मोल भाव

	आवश्यक है वहाँ केवल सबसे कम मूल्यांकन वाले उत्तरदायी बोलीदाता के साथ ही मोल भाव का सहारा लिया जाय।
	(xv) दर अनुबंध प्रणाली में, जहां कई फर्मों को एक ही वस्तु के लिए दर अनुबंध पर लाया जाता है, बोलीदाताओं के साथ बातचीत के साथ-साथ प्रति-प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है और इस प्रयोजन के लिए राज्य क्रय संगठन को विशेष अनुमति दी जानी चाहिए।
	(xvi) साधारणतः सबसे कम मूल्यांकित बोलीदाताओं को अनुबंध दिया जाना चाहिए, जिसकी बोली उत्तरदायी पाई गई है और जो संबंधित बोली दस्तावेज में शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार अनुबंध को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने के लिए पात्र और योग्य हो। हालांकि, जहां तदर्थ आवश्यकता के खिलाफ सबसे कम स्वीकार्य बोलीदाता अपेक्षित पूरी मात्रा की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है तो शेष मात्रा, जहां तक संभव हो, अगले उच्च उत्तरदायी बोलीदाता को सबसे कम उत्तरदायी बोली लगाने वाला द्वारा दी जाने वाली दरों पर कय आदेश दिया जाना चाहिए।
	(xvii) अनुबंध प्राप्त सफल बोलीदाता के नाम का उल्लेख विभाग/खरीद इकाई के वेबसाइट और उनके सूचना पट्ट या बुलेटिन में किया जाना चाहिए।
	(xviii) सभी बोलियों की अस्वीकृति उचित है जब – क) प्रभावी प्रतिस्पर्धा का अभाव है (निविदा खोलने के लिए दो से कम वैध प्रस्ताव/बोली उपलब्ध नहीं है) ख) सभी बोलियाँ और प्रस्ताव खरीद दस्तावेजों की आवश्यकताओं के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं हैं। ग) बोलियाँ/प्रस्तावों की कीमतें अद्यतन लागत अनुमान या उपलब्ध बजट से काफी अधिक या कम हैं; या घ) कोई भी तकनीकी प्रस्ताव न्यूनतम तकनीकी योग्यता अंक को पूरा नहीं करता है। (xix) उप-नियम (xviii) (क) में प्रतिस्पर्धा का अभाव केवल बोलीदाताओं की संख्या के आधार पर निर्धारित नहीं की जाएगी। यहां तक कि जब केवल एक बोली प्रस्तुत की जाती है, तो प्रक्रिया को वैध माना जा सकता है, परंतु

	निम्नलिखित शर्तें पूरी हों: क) खरीद का विज्ञापन संतोषजनक ढंग से किया गया था, और बोलियां प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। ख) योग्यता मानदंड अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक नहीं थे; तथा ग) बाजार मूल्यों की तुलना में कीमतें उचित हैं। (xx) जब एक सीमित या खुली निविदा के परिणाम स्वरूप केवल एक प्रभावी प्रस्ताव होता है, तो इसे एकल निविदा अनुबंध के रूप में माना जाएगा।
131 भ	**सार्वजनिक खरीद प्रणाली में दक्षता, मितव्ययिता और जवाबदेही**
	सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को प्रणाली में दक्षता, मितव्ययिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों परध्यान दिया जाना चाहिए– (i) देरी को कम करने हेतु, खरीद इकाई द्वारा खरीद के प्रत्येक चरण के लिए उचित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। (ii) निर्णय लेने और अनुबंध के नियोजन के लिए आवश्यक समय को कम करने हेतु, प्रत्येक प्रशासी विभाग/अन्य खरीद इकाई, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, जहाँ आवश्यक हो, निचले पदाधिकारियों को समुचित क्रय शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकते हैं। (iii) खरीद इकाई को बोलियों की मूल वैधता के भीतर अनुबंध का नियोजन सुनिश्चित करना चाहिए। बोली की वैधता के विस्तार को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही सहारा लिया जाना चाहिए। (iv) नामित राज्य क्रय संगठन (संगठनों) को दर अनुबंध प्रणाली में अधिक से अधिक सामान्य उपयोगकर्ता वस्तु लाने चाहिए जो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा थोक में बार–बार आवश्यक होते हैं। राज्य क्रय संगठन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दर अनुबंध बिना किसी रूकावट के उपलब्ध रहें।
131 म	**बाय–बैक ऑफर**

	जब किसी मौजूदा पुरानी वस्तु (वस्तुओं) को नए और बेहतर संस्करण से बदलने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लिया जाता है, तो खरीद इकाई नई वस्तु खरीदते समय मौजूदा पुरानी वस्तु की अदला बदली कर सकेगा। इस प्रयोजन के लिए, बोली दस्तावेज में एक उपयुक्त खंड शामिल किया जाना है ताकि संभावित और इच्छुक बोलीदाता तदनुसार अपनी बोली तैयार कर सकें।

परामर्शी सेवाएँ

131 य	**परामर्शी सेवाओं की परिभाषा**
	'परामर्श सेवा से अभिप्रेत है खरीद का कोई भी विषय (जो 'गैर–परामर्श सेवाओं' से भिन्न है, जिसमें मुख्य रूप से गैर–भौतिक परियोजना–विशिष्ट, बौद्धिक और प्रक्रियात्मक प्रक्रियाएँ शामिल हैं जहां परिणाम/परिदेय एक परामर्शी (परामर्शदाता) से दूसरे के लिए भिन्न होंगे), वस्तुओं या कार्यों के अतिरिक्त, सेवा के लिए आकस्मिक या परिणामी को छोड़कर, और इसमें पेशेवर, बौद्धिक, प्रशिक्षण और सलाहकार सेवाएँ या खरीद इकाई द्वारा वर्गीकृत या घोषित कोई अन्य सेवा शामिल है, लेकिन इसमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की प्रत्यक्ष नियुक्ति शामिल नहीं है। नोटः इन सेवाओं में आमतौर पर विशेषज्ञ या रणनीतिक सलाह प्रदान करना शामिल होता है जैसे, प्रबंधन सलाहकार, नीति सलाहकार, संचार सलाहकार, सलाहकार और परियोजना से संबंधित परामर्श सेवाएं जिनमें व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना प्रबंधन, अभियांत्रिकी सेवाएँ, वित्त, लेखा और कराधान सेवाएं, प्रशिक्षण और विकास आदि शामिल हैं।
131 र	**परामर्शी सेवाओं को किराए पर लेना**
	प्रशासी विभाग/खरीद इकाई किसी विशिष्ट कार्य के लिए, बाह्य पेशेवरों, परामर्शदात्री फर्मों या परामर्शदाताओं (इसके बाद परामर्शदाता के रूप में संदर्भित) को किराये पर ले सकेगा, जो अनुबंध की शर्तों और इसके पूरा होने के लिए समय सीमा के अनुसार अच्छी तरह से परिभाषित है।
131 ल	**परामर्श सेवाओं को किराए पर लेने के लिए मौलिक सिद्धांत**

	इस खंड में परामर्शदाता के विनियोजन के संबंध में सभी खरीद इकाइयों पर लागू मौलिक सिद्धांत शामिल हैं। इस अध्याय में निहित मूल नियमावली के अनुरूप इस आशय के विस्तृत निर्देश, वित्त विभाग की सहमति से संबंधित विभागों द्वारा जारी किए जा सकेंगे।
131 व	**परामर्शदाताओं द्वारा निष्पादित की जाने वाली आवश्यक सेवाओं की पहचान**
	परामर्शदाताओं का विनियोजन उन स्थितियों में की जा सकेगी, जिनमें उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसके लिए संबंधित खरीद इकाई के पास आवश्यक विशेषज्ञता नहीं होती। परामर्शदाताओं को विनियोजित करने से पहले सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।
131 श	**अपेक्षित परामर्शदाता/परामर्शदाताओं का कार्यक्षेत्र तैयार करना**
	विभाग/खरीद इकाई को सरल और संक्षिप्त भाषा में समनुदेशन की आवश्यकता, उद्देश्यों और दायरे को तैयार करना चाहिए। परामर्शदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता और पूर्व योग्यता मानदंड को भी इस स्तर पर स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए।
131 ष	**उचित व्यय का अनुमान लगाना**
	परामर्शदाता/परामर्शदाताओं को विनियोजित करने का प्रस्ताव करने वाली खरीद इकाई को बाजार की प्रचलित स्थितियों का पता लगाकर और समान गतिविधियों में लगे अन्य संगठनों से परामर्श करके इसके लिए उचित व्यय का अनुमान लगाना चाहिए। हालांकि, वास्तविक व्यय इस अध्याय में उल्लिखित खरीद प्रक्रिया के माध्यम से पता लगाया जायेगा।
131 स	**संभावित स्रोतों की पहचान**
	(1) जहां परामर्श सेवा की अनुमानित लागत एक करोड़ रुपये तक है, संभावित समर्थ परामर्शदाताओं का सूचीकरण, वाणिज्य और उद्योग मंडलों, परामर्श फर्मों के संघ,समान गतिविधियाँ में शामिल अन्य खरीद इकाईया संगठनों से औपचारिक या अनौपचारिक पूछताछ के आधार किया जा सकता है। (2) जहां परामर्श सेवाओं की अनुमानित लागत एक करोड़ रुपये से अधिक है, उपरोक्त (1) के अतिरिक्त, परामर्शदाताओं से "रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए एक पूछताछ/प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर०एफ०पी०) जेम/ई-खरीद पोर्टल पर प्रकाशित की जानी चाहिए। संगठन जिसकी अपनी

	वेबसाइट है, को अपनी सभी विज्ञापित निविदा पूछताछ भी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी चाहिए और कम से कम एक राष्ट्रीय/राज्य स्तर के दैनिक समाचार पत्र को उत्तरदायी बोली की अपेक्षा के अनुरूप वेबसाइट का पता विज्ञापनों में भी दिया जाना चाहिए। (3) रुचि की अभिव्यक्ति जानने के लिए पूछताछ में संक्षेप में, काम या सेवा का व्यापक दायरा, खरीद इकाई द्वारा प्रदान किए जाने वाली इनपुट/सुविधा और परामर्शदाता द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता और पूर्व योग्यता मानदंड, परामर्शदाता का समान कार्य या सेवा में पूर्व अनुभव आदि होने चाहिए। परामर्शदाताओं से यह भी कहा जाना चाहिए कि पूछताछ में दर्शाये गये कार्य या सेवा के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र पर अपनी टिप्पणियाँ भेजे। इच्छुक परामर्शदाताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
131 ह	**परामर्शी सेवाओं का पैनलीकरण/सूचीकरण**
	विभाग या राज्य क्रय–संगठन या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी खरीद इकाई के स्तर पर, वैसी विशिष्ट प्रकृति की सेवाएँ जिन्हें बार–बार अक्सर खरीद की आवश्यकता हो जाती है, के लिए न्यूनतम चार परामर्शदाताओं का पैनल दो साल के लिए बनाया जा सकता है और इसे केवल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उन्हें एक करोड़ रुपये तक की परामर्श सेवा प्रदान की जा सकती है।
131 क्ष	**संदर्भ की शर्तों (टी०ओ०आर०) की तैयारी**
	टी०ओ०आर० में शामिल होना चाहिए: (i) उद्देश्यों का सटीक विवरण; (ii) किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा; (iii) कार्यों को पूरा करने के लिए अनुसूची; (iv) परामर्शी को सुगम बनाने के लिए खरीद इकाई द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता या इनपुट; तथा (v) अंतिम परिणाम जो सलाहकार/परामर्शी से अपेक्षित होगा।
131 त्र	**प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर०फ०पी०) की तैयारी और जारी करना**

	आर०एफ०पी० आवश्यक सेवा के लिए परामर्शदाताओं से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु खरीद इकाई द्वारा उपयोग किया जाने वाला दस्तावेज है। आर०एफ०पी० को नियम 131स में छंटनी किए गए परामर्शदाताओं से उनके तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए जारी किया जाना चाहिए। आर०एफ०पी० में शामिल होना चाहिए:– (i) आमंत्रण पत्र (ii) प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में परामर्शदाताओं को जानकारी। (iii) संदर्भ की शर्तें (टी०ओ०आर०)। (iv) पात्रता और पूर्व–योग्यता मानदंड यदि अभिरूचि की अभिव्यक्ति की जाँच के माध्यम से इसको अभिनिश्चित नहीं किया गया है। (v) प्रमुख पदों की सूची जिनके शैक्षणिक एवं कार्यानुभव (सी० वी०) और अनुभव का मूल्यांकन किया जाएगा। (vi) बोली मूल्यांकन मानदंड और चयन प्रक्रिया। (vii) तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव के लिए मानक प्रारूप। (viii) प्रस्तावित अनुबंध शर्तें। (ix) कार्य की प्रगति की मध्यावधि समीक्षा और अंतिम मसौदा रिपोर्ट की समीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रक्रिया।
131 झ	**प्रस्तावों की प्राप्ति और खोलना**
	प्रस्तावों को आमतौर पर 'दो बोली' प्रणाली (जैसा नियम 131ण में विनिर्दिष्ट है) में परामर्शदाताओं से पूछा जाना चाहिए जिसे तकनीकी और वित्तीय बोलियों के साथ अलग से मुहरबंद किया गया। बोलीदाता को इन दो मुहरबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में विधिवत मुहरबंद रखना चाहिए और निर्दिष्ट स्थान पर निर्दिष्ट तिथि और समय तक खरीद इकाई को प्रस्तुत करना चाहिए। प्राप्ति पर, तकनीकी प्रस्तावों को पहले खरीद इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर खोला जाना चाहिए।
131झ(क)	**विलंबित बोली**
	विलंबित बोली अर्थात प्राप्ति की विनिर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
131झ(ख)	**तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन**

	तकनीकी बोलियों का विश्लेषण और मूल्यांकन खरीद इकाई द्वारा गठित एक परामर्श मूल्यांकन समिति (सी०ई०सी०) द्वारा किया जाना चाहिए। सी०ई०सी० अपने द्वारा विश्लेषण और मूल्यांकन किए गए तकनीकी प्रस्तावों की स्वीकृति या अस्वीकृति के कारणों को विस्तार से दर्ज करेगा।
131झ(ग)	**तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन**
	खरीद इकाई केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ खोलेगी जिन्हें उपरोक्त नियम 131झ(ख) के अनुसार परामर्श मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी रूप से अहर्ता–प्राप्त घोषित किया गया हो ताकि उनका आगे मूल्यांकन और विश्लेषण किया जा सके और परामर्शी कार्य संविदा प्रदान करने के लिए सफल बोलीदाता को रैंकिंग दी जा सके और चयन किया जा सके ।
131झ(घ)	**परामर्शी प्रस्तावों के चयन/मूल्यांकन के तरीके**
	परामर्शदाता का चयन जैसा प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो, नियम 131झ(ङ) से 131झ(छ) में दिए गए किसी भी तरीके का अनुपालन करते हुए किया जा सकेगा।
131झ(ङ)	**गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यू०सी०बी०एस०)**
	(1.) क्यू०सी०बी०एस० का उपयोग केवल परामर्शी सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकेगा, जहाँ परामर्श की गुणवत्ता प्रमुख चिंता का विषय है। (i) क्यू०सी०बी०एस० में शुरू में आर०एफ०पी० में घोषित मानदंडों के अनुसार तकनीकी प्रस्तावों की गुणवत्ता को अंकित किया जाता है। केवल उन उत्तरदायी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने तकनीकी प्रस्ताव की गुणवत्ता में कम से कम न्यूनतम विनिर्दिष्ट योग्यता अंक प्राप्त किया हो। (ii) तकनीकी प्रस्ताव खोलने और अंकन के बाद, तकनीकी रूप से उत्तरदायी योग्य बोलीदाताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे, और तकनीकी प्रस्ताव की गुणवत्ता और वित्तीय प्रस्ताव के अंक के लिए पूर्व निर्धारित सापेक्ष भार देकर अंतिम संयुक्त अंक निकाला जाएगा। (iii) आर०एफ०पी० तकनीकी प्रस्ताव की गुणवत्ता के लिए न्यूनतम योग्यता अंक विनिर्दिष्ट करेगा और गुणवत्ता तथा लागत को दिए जाने वाले सापेक्ष भार (कार्य में लागत पहलुओं की तुलना में गुणवत्ता के सापेक्ष महत्व के आधार पर प्रत्येक मामले के लिए निर्धारित किया जाता है, उदाहरण के लिए 70:30,

	60:40, 50:50 आदि)। उच्चतम भारित संयुक्त अंक (गुणवत्ता और लागत) वाले प्रस्ताव का चयन किया जाएगा। (iv) तकनीकी मापदंडों का भार अर्थात किसी भी मामले में गैर–वित्तीय मापदंड 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। (2) सामान्यतः गैर–परामर्शी सेवाओं/कार्यों के लिए क्यू०सी०बी०एस० की प्रक्रिया नहीं अपनायी जायेगी । तथापि, विशेष/अपवादिक मामलों में गैर परामर्शी सेवा/कार्य के लिए क्यू०सी०बी०एस० अपनाने हेतु वित्त विभाग की सहमति से मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
131 झ(च)	**न्यूनतम लागत प्रणाली (एल०सी०एस०)**
	एल०सी०एस० एक मानक या नियमित प्रकृति (जैसे गैर–जटिल कार्यों की लेखा परीक्षा और अभियांत्रिकी डिजाइन) के कार्य के लिए उपयुक्त है जहाँ अच्छी तरह से स्थापित पद्धतियाँ, प्रथाएँ और मानक मौजूद हैं। क्यू०सी०बी०एस० के विपरीत, अंतिम मूल्यांकन में तकनीकी अंक के लिए कोई भार नहीं है और सबसे कम मूल्यांकन लागत के साथ उत्तरदायी तकनीकी रूप से योग्य प्रस्ताव का चयन किया जाएगा।
131 झ(छ)	**नामांकन द्वारा एकल स्रोत चयन/परामर्श**
	वस्तु/सेवाएँ की खरीद के एकल निविदा पद्धति की तर्ज पर प्रत्यक्ष मोल भाव/नामांकन द्वारा चयन को केवल असाधारण परिस्थिति में उचित माना जाता है जैसे:– (i) फर्म द्वारा किए गए पिछले कार्य की प्राकृतिक निरंतरता का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्य। (ii) आपातकालीन स्थिति में, प्राकृतिक आपदाओं के बाद उत्पन्न होने वाली स्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ जहाँ कार्य को समय पर पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है; (iii) ऐसी स्थितियाँ जहाँ कार्य के निष्पादन में एकल स्वामित्व तकनीकी का उपयोग शामिल हो सकता है या केवल एक परामर्शदाता के पास अपेक्षित विशेषज्ञता है; और

	(iv) कुछ विशेष परिस्थितियों में, किसी विशेष परामर्शदाता का चयन करना आवश्यक हो सकता है जहां खरीद इकाई के समग्र हित के संदर्भ में ऐसे एकल–स्रोत चयन के लिए पर्याप्त औचित्य उपलब्ध हो। एकल स्रोत चयन के लिए पूर्ण औचित्य संचिका में दर्ज किया जाना चाहिए और ऐसे एकल स्रोत चयन का सहारा लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
	(v) इससे निष्पक्षता और साम्यता सुनिश्चित होगी और यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया होगी कि कीमतें उचित हैं और समान प्रकृति के कार्यों के लिए बाजार दरों के अनुरूप हैं और आवश्यक परामर्शी सेवाओं को छोटे–छोटे आकार की खरीद में विभाजित नहीं की गयी है।
	(vi) खरीद इकाई परिशिष्ट–16 में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से परामर्शदाता के विनियोजन हेतु इस प्रक्रिया का पालन कर सकता है।
131 ज्ञ(ज)	**अनुबंध की निगरानी**
	विभाग/खरीद इकाई को परामर्शी सेवा के कार्यकलाप में लगातार शामिल रहना चाहिए, बेहतर होगा कि एक कार्यबल की शैली अपना कर परामर्शदाता/परामर्शदाताओं के प्रदर्शन की लगातार निगरानी की जाय ताकि परामर्शी सेवा का परिणाम खरीद इकाई के उद्देश्यों के अनुरूप हो।
	गैर–परामर्शी सेवाएँ/सेवाओं की आउटसोर्सिंग
131 ज्ञ(झ)	**गैर–परामर्शी सेवाएँ/सेवाओं की आउटसोर्सिंग**
	'गैर–परामर्शी सेवा' से अभिप्रेत है खरीद का कोई भी विषय (जो 'परामर्शी सेवाओं' से भिन्न है), जिसमें भौतिक, मापने योग्य परिदेय/परिणाम शामिल हैं, जहाँ प्रदर्शन मानकों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है और लगातार लागू किया जा सकता है, वस्तु या कार्यों के अतिरिक्त, सेवा के लिए आकस्मिक या परिणामी को छोड़कर, और इसमें रख–रखाव, वाहन किराए पर लेना, भवन सुविधाओं के प्रबंधन की आउटसोर्सिंग, सुरक्षा, फोटोकॉपियर सेवा, चौकीदार, कार्यालय कार्य सेवाएं, ड्रिलिंग, हवाई फोटोग्राफी, उपग्रह इमेजरी, मैपिंग आदि शामिल हैं।
131 ज्ञ(ञ)	**गैर–परामर्श सेवाओं की खरीद**
	प्रशासी विभाग मितव्ययिता और दक्षता के हित में कुछ गैर–परामर्शी सेवाएँ

	प्राप्त कर सकता है और वह वित्त विभाग की सहमति से इस अध्याय में निहित मूल नियमावली के अनुरूप विस्तृत अनुदेश और प्रक्रियाएँ निर्धारित कर सकता है।
131 झ(ट)	**संभावित ठेकेदारों की पहचान**
	खरीद इकाई को समान गतिविधियों में शामिल अन्य खरीद इकाई और संगठनों से औपचारिक या अनौपचारिक पूछताछ के आधार पर उपयुक्त और संभावित समर्थ ठेकेदारों की एक सूची तैयार करनी चाहिए।
131 झ(ठ)	**निविदा जांच की तैयारी**
	खरीद इकाई को एक निविदा पूछताछ तैयार करनी चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निहित हो: (i) ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य या सेवा का विवरण; (ii) सुविधाएँ और इनपुट जो खरीद इकाई द्वारा ठेकेदार को प्रदान किए जाएँगे;
	(iii) आवश्यक कार्य/सेवा करने के लिए ठेकेदार द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता और योग्यता मानदंड; और (iv) ठेकेदार द्वारा अनुपालन किए जाने वाले वैधानिक और संविदात्मक दायित्व।
131 झ(ड)	**बोलियों का आमंत्रण** (i) पचास लाख रुपये या उससे कम की गैर–परामर्शी सेवा के अनुमानित मूल्य के लिए:– खरीद इकाई को उपरोक्त नियम 131झ(ट) के अनुसार पहचाने गए संभावित ठेकेदारों की प्रारंभिक सूची की छानबीन करनी चाहिए, प्रथम दृष्टया पात्र और सक्षम ठेकेदारों का विनिश्चय करें और मानक परिपाटी के अनुसार एक विनिर्दिष्ट तिथि और समय आदि तक उनसे प्रस्ताव माँगते हुए उन्हें सीमित निविदा पूछताछ जारी करें । सीमित निविदा जाँच जारी करने के लिए इस प्रकार अभिनिर्धारित ठेकेदारों की संख्या तीन से अधिक होनी चाहिए। (ii) पचास लाख रुपये से अधिक के अनुमानित मूल्य की गैर–परामर्शी सेवा के लिए :– खरीद इकाई को ऐसे मामले में विज्ञापित निविदा पूछताछ जारी करनी चाहिए और इसे जेम/ई–खरीद पोर्टल पर भी डाला जाना चाहिए। अपनी वेबसाइट वाले संगठन को वेबसाइट पर अपनी सभी विज्ञापित निविदा पूछताछ भी प्रकाशित करनी चाहिए। निविदाओं के आमंत्रण हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन में वेबसाइट का पूर्ण पता देना चाहिए जहाँ से बोली

	दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकें ।
131 ज्ञ(ढ़)	**विलबिंत बोलियाँ**
	विलंबित बोलियाँ अर्थात प्राप्ति की निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
131 ज्ञ(ण)	**प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन**
	खरीद इकाई को उत्तरदायी बोलियों का मूल्यांकन, छंटनी और रैंकिग करनी चाहिए और अनुबंध प्रदान करने के लिए सफल बोलीदाता का चयन करना चाहिए। मूल्यांकन करते समय संबंधित पदाधिकारी को बोली दस्तावेज में प्रावधान किए गए प्रासंगिक श्रम कानूनों और कराधान नियमावली को ध्यान में रखना चाहिए। राज्य सरकार इस संदर्भ में समय–समय पर अधिसूचना निर्गत कर सकेगी ।
131 ज्ञ(त)	**नामांकन द्वारा गैर–परामर्शी सेवाओं की खरीद**
	यदि किसी अपवादिक परिस्थिति में विशेष रूप से चुने गए ठेकेदार से गैर–परामर्शी सेवा प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, तो विभाग/खरीद इकाई में सक्षम प्राधिकारी ऐसा कर सकेगा। ऐसे मामलों में विस्तृत ब्यौरेवार औचित्य, चयन द्वारा ऐसी खरीद की ओर ले जाने वाली परिस्थितियाँ और इससे जो विशेष हित या उद्देश्य पूरा होगा वह इस प्रस्ताव का एक अभिन्न अंग बनेगा। एकल स्रोत चयन/नामांकन के लिए पूर्ण औचित्य संचिका में दर्ज की जानी चाहिए और ऐसे एकल–स्रोत चयन का सहारा लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी (परिशिष्ट–16) का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
131 ज्ञ(थ)	**अनुबंध की निगरानी**
	खरीद इकाई को अनुबंध के संचालन में लगातार शामिल होना चाहिए और ठेकेदार के प्रदर्शन की निरंतर अनुश्रवण करनी चाहिए।
131 ज्ञ(द)	**अन्य**
	कोई भी परिस्थिति जो गैर–परामर्शी सेवाओं की खरीद के लिए नियम 131ज्ञ(झ) से 131ज्ञ(त) में शामिल नहीं है, खरीद इकाई वस्तु की खरीद से संबंधित नियम 124 से नियम 131म तक संदर्भित कर सकती है, न कि परामर्शी सेवाओं की खरीद से।

व्याख्या :–इस बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण के प्रावधानों की व्याख्या करने में किसी अस्पष्टता या अंतर के मामले में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो इस बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के अंग्रेजी संस्करण का प्रावधान मान्य होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:–एम–4–03/2022...13183.../वि०, पटना, दिनांक...09-12-2024

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:–एम–4–03/2022...13183.../वि०, पटना, दिनांक...09-12-2024

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:–एम–4–03/2022...13183.../वि०, पटना, दिनांक...09-12-2024

प्रतिलिपि:–माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:–एम–4–03/2022...13183.../वि०,पटना, दिनांक...09-12-2024

प्रतिलिपि:–ई–गजट प्रशाखा/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव।

परिशिष्ट.16

वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के उद्देश्य से वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन

क्र०	विषय	बि०वि०नि० संख्या	खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी
1	वस्तुओं/कार्यों की खरीद के लिए नामांकन आधार	131 द	1. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से प्रशासी विभाग– ₹25 लाख तक 2 वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग–₹25 लाख से अधिक एवं ₹1करोड़ तक 3. वित्त विभाग के परामर्श से मंत्रिपरिषद्– ₹1 करोड़ से अधिक
2	नामांकन के आधार पर परामर्शी सेवा की खरीद	131 ञ(छ)	1प्रशासी विभाग द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से–₹25 लाख तक 2.वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग– ₹25 लाख से अधिक एवं ₹1 करोड़ तक 3.वित्त विभाग के परामर्श से मंत्रिपरिषद्– ₹1 करोड़ से अधिक
3	नामांकन द्वारा गैर.परामर्शी सेवाओं की खरीद	131 ञ(त)	1.प्रशासी विभाग केअनुमोदन से खरीद इकाई– ₹50 लाख तक 2. मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से खरीद इकाई– ₹50 लाख अधिक
4	एकल बोली का निपटान	131 त	पुनर्निविदा के बाद खरीद इकाई प्राधिकरण से एक स्तर ऊपर के पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद।